फाइल संख्या 5/20/2016 - रा भा (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

एन डी सी सी - 2 बिल्डिंग, बी विंग,
चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110 001
दिनांक 14.3.2017

आदेश

जबकि राजभाषा विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत श्री शैलेश कुमार सिंह को दिनांक 13.2.2017 के सम संख्यक कार्यालय आदेश द्वारा इस्पात मंत्रालय से स्थानांतरित कर वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली में तैनात किया गया है ।

2. और जबकि श्री शैलेश कुमार सिंह को उपरोक्त आदेश द्वारा तैनात किए गए वित्तीय सेवाएँ विभाग से राजभाषा विभाग के उच्चाधिकारियों को बारम्बार मोबाइल/फोन द्वारा श्री शैलेश कुमार सिंह द्वारा अभी तक वहाँ कार्यभार ग्रहण न करने के संबंध में सूचित किया जा रहा है

3. और राजभाषा विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी स्थानांतरण / तैनाती के आदेशों का अनुपालन न किए जाने को संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी अर्थात सचिव (राजभाषा) जी ने अत्यंत गंभीरता से लिया है ।

अब, इसलिए राजभाषा विभाग के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक को इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 14.3.2017 (पूर्वाहन) से तत्काल कार्यमुक्त किया जाता है । श्री शैलेश कुमार सिंह को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वे इस स्थानांतरण/तैनाती आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुये बिना विलंब किए आज ही उन्हें तैनात किए गए वर्तमान वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करें । श्री शैलेश कुमार सिंह को अब इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली से कोई औपचारिक कार्यभार मुक्त आदेश (formal relieving order) नहीं लेने हैं । श्री शैलेश कुमार सिंह को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिना और कोई नोटिस दिये निर्धारित अनुशासनात्मक / दंडात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है । इसे सचिव (राजभाषा) की अनुमति से जारी किया जाता है ।

14.3.17
(यशपाल देवगन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन : 23438150

1. श्री शैलेश कुमार सिंह,
संयुक्त निदेशक (राजभाषा),
इस्पात मंत्रालय, उधोग भवन, नई दिल्ली ।

..2..

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव (स्थापना), स्थापना डिवीजन, इस्पात मंत्रालय, उधोग भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 10.3.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(3)/2011 - स्थापना के संदर्भ में सूचना और भावी आवश्यक कार्रवाई हेतु । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली से श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) को stand relieved किया गया है ।

2. अवर सचिव (स्थापना), स्थापना डिवीजन, इस्पात मंत्रालय, उधोग भवन, नई दिल्ली । इस संदर्भ में अनुरोध है कि श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) की सेवा पंजी, एल पी सी और शासकीय सेवा से संबन्धित उनके दस्तावेज़ सीधे ही उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय अर्थात वित्तीय सेवाएँ विभाग को तुरंत भिजवाने की व्यवस्था करें ।

3. अवर सचिव (स्थापना/प्रशासन), वित्तीय सेवाएँ विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 ।

4. अनुभाग अधिकारी, सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली । कृपया इसे श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट डोजियर में रखें ।

5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, उधयोग भवन, नई दिल्ली को भावी आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, उधयोग भवन, नई दिल्ली को भावी आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

7. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी । कृपया इस आदेश को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें

8. व्यक्तिगत फाइल / गार्ड फाइल